

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डा0 नरेश सोनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :- 103/2024

गुलझारी

निर्णय दिनांक :- 12/11/25

सुलतान बगै0

**बनाम
निर्णय**

प्रकरण में न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.08.2024 की पालना में तहसीलदार चिड़ावा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/1476 दिनांक 03.09.2024 के द्वारा विभाजन प्राप्त हो चुका है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकारान द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। अतः तहसीलदार चिड़ावा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा उनके नाम के सामने अंकित खसरा नम्बर, रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

क्र.स.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1.	गुलझारी पुत्र हीराराम जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा अरड़ावता	गिडानिया	204/1 634/206/1	0.38 1.04	-	-
		योग	02	1.42	-	-
2.	सुलतान सिंह पुत्र हीराराम जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन बी.ओ.बी. शाखा सुलताना	गिडानिया	204/2 634/206/2	0.54 0.80	-	-
		योग	02	1.34	-	-
3.	शिलोचना पत्नी मूलचन्द पुनम, प्रतिभा, पिकेश पुत्री मूलचन्द, सरजीत पुत्र मूलचन्द जाति जाट सा.देह राहिन पुनम, प्रतिभा, पिकेश शिलोचना हि.व.हि. 4/5 बी.ओ.बी शाखा सुलताना	गिडानिया	204/3 634/206/3	0.34 1.00	-	-
		योग	02	1.34	-	-
4.	सुलतान सिंह पुत्र हीराराम हि. 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन बी.ओ.बी. शाखा सुलताना, शिलोचना पत्नी मूलचन्द, पुनम, प्रतिभा, पिकेश पुत्री मूलचन्द, हि.व.हि. 4/10 राहिन बी.ओ.बी. सुलताना जाति जाट सा. देह सरजीत पुत्र मूलचन्द हि. 1/10 जाति जाट सा. देह	गिडानियां	633/205	0.16	-	-

तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के सलंगन नक्शे को आदेश का हिस्सा माना जावे। नियमानुसार मुद्रांक शुल्क प्राप्त होने पर अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हों।



निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(डा0 नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा
चिड़ावा जिला झुंझुनूं (राज.)

(डा0 नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा
चिड़ावा जिला झुंझुनूं (राज.)